(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कुमारीदेवी पुत्री दीपाराम पत्नी मूलाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा हाल निवासी उगराणियों की ढाणी तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		दीपाराम पुत्र पोलाराम जाति जाट, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 240/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	प्रार्थीनीगण अधिवक्ता श्री घमण्डाराम सारण व बालाराम गोदारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सयुंक्त एवं पैतृक खातेदारी के खेत मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 947/911, 955/911 रकबा क्रमशः 8.2718, 3.3994 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 947/911 प्रार्थीगण के दादा पोलाराम की खातेदारी थी तथा खसरा नम्बर 955/911 की भूमि प्रार्थीनीगण की दादी अमरूदेवी द्वारा क्रय की गई थी। उक्त दोनों के फौत होने पर उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीनीगण के पिता व उसके भाई का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त पैतृक आराजी में प्रार्थीनीगण के पिता विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से प्रार्थीनीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत हक हिस्सा बनता है तथा मौके पर भी प्रार्थीनीगण काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनीगण के पक्ष में है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीनीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने से वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान अपने पक्ष में करवा दिया गया है तथा साथ ही वर्तमान में प्रार्थीनीगण के कब्जा काश्त व हक हिस्सा में दखलदांजी पैदा की जाकर उन्हे बेदखल करने पर आमादा है, जबकि संयुक्त पैतृक खातेदारी भूमि में विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये और प्रार्थीनीगण को उनके पुश्तैनी कब्जा काश्त व हक हिस्सा वाली भूमि से बेदखल किया जाता है या नव निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे प्रार्थीनीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीनीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीनीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीनीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीनीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में प्रार्थीनीगण का पैतृक रूप से हक हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीनीगण मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीनीगण के पक्ष में है। सामलाती पैतृक खातेदारी भूमि में प्रत्येक खातेदार का बराबर हक हिस्सा निहित होता है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनीगण के सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

Scanned with OKEN Scanner

पुश्तैनी कब्जा काश्त में दखलंदाजी की जाकर उसे बेदखल किया जाता है या उनके कब्जा काश्त में नव निर्माण किया जाता है अथवा भूमि का अजनबी क्रेताओं को बेचान किया जाता है तो इससे पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि में अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रार्थीनीगण को अपने पैतृक खातेदारी अधिकारों से भी महरूम रहना पड़ेगा एवं मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा हनुमानपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 947/911, 955/911 रकबा क्रमशः 8.2718, 3.3994 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीनीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीनीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने व किसी प्रकार का नव निर्माण कार्य नहीं करने तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 18.09.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

13.08.24 प्रार्थीनी एवं प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आवेदन विड्रोवल करने तथा पत्रावली तलब करने का पेश कर निवेदन करने पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई।

प्रार्थीनी मय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीनीगण एवं विप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वर्तमान में गांव के मौजिज लोगों की समझाईश से आपसी राजीनामा हो गया है तथा उक्त आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन को जरिये विड्रोवल खारिज फरमाया जावें तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे। प्रार्थीनी स्वयं द्वारा भी आपसी राजीनामा होने तथा आवेदन विड्रो किये जाने का निवेदन किया गया।

चूंकि पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा आवेदन आगे नहीं चलाना चाहते है। उक्त स्थिति में प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आवेदन को इसी स्टेज पर जरिये विड्रो खारिज किया जाता है तथा जारी स्थगन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव